रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 17 अप्रैल, 1974
चैत्र 27, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1080/17-वि-1-74-29-74

लखनऊ, 17 अप्रैल, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1974)

[जसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण की प्रोन्नति के निमित्त एक निधि स्थापित करने और उसके प्रबंधन करने की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में—

(क) "अधिवक्ता" का तात्पर्य स्टेट बार काउंसिल की नामावली में नामनिवेशित एडवोकेट से है;

(ख) "स्टेट बार काउंसिल" का तात्पर्य एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल से है;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट निधि से है ;

(घ) "न्यासी समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित समिति से है।

निधि का उद्देश्य

3—(1) सामान्य लोक उपयोगिता के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक ऐसी निधि के सम्बन्ध में, जिसका गठन एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायगा, और जिसे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि कहा जायेगा, एक पूर्त न्यास का सृजन किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) साठ वर्ष की आयु तक के अधिवक्ताओं के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा की पालिसी लेना ;

(ख) जिला बार एसोसियेशनों के लिए हालों तथा पुस्तकालयों के लिए भवनों की तथा कैन्टीन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, अथवा ऐसी व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जिला बार एसोसियेशनों को अभिदान करना ;

(ग) आवश्यकताग्रस्त अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को आयोजित करना ; और

(घ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे, न्यासी समिति की राय में, अधिवक्ताओं की कार्यदशा तथा सुविधाओं में सुधार हो।

(2) निधि में निम्नलिखित धनराशियां होंगी :—

(क) धारा 4 के अधीन उसे अन्तरित सभी धनराशियां ;

(ख) स्टेट बार काउंसिल द्वारा उसे दिये गये सभी अभिदान ;

(ग) किसी अधिवक्ता द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अभिदान, जिसके अन्तर्गत सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के अधीन, किसी बीमाकृत अधिवक्ता की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई धनराशि भी है जहां ऐसे अधिवक्ता ने न्यासी समिति को ऐसा व्यक्ति नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि का भुगतान किया जायगा ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान ;

(ङ) धारा 5 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि ;

(च) अधिवक्ताओं के सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ अथवा लाभांश ; और

(छ) निधि के किसी भाग के सम्बन्ध में किये गये किसी विनियोजन पर कोई ब्याज या लाभांश अथवा अन्य प्रतिलाभ।

(3) निधि एक ऐसी न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धृत तथा प्रबन्धित होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, पदेन, जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) अध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल, पदेन, अथवा यदि उक्त पद तत्समय महाधिवक्ता द्वारा धृत हो, तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिवक्ता ; और

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग, पदेन, जो सदस्य-सचिव होगा।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा, किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है।

(5) न्यासी समिति उपर्युक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(6) न्यासी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से कि उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष है, न तो कोई आपत्ति की जायगी और न उसे अविधिमान्य समझा जायगा।

कतिपय धन का निधि में अन्तरण

4—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं द्वारा भर्ती के प्रमाण-पत्रों पर दिये गये स्टाम्प शुल्क के मद्दे जमा धनराशि तथा उस पर वास्तविक रूप से अर्जित ब्याज की धनराशि के समकक्ष धनराशि, उसके द्वारा निधि में जमा की जायेगी और निधि में इस प्रकार जमा होने पर स्टेट बार काउंसिल उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रति अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी।

5—(1) न्यासी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशियां समय-समय पर उधार ले सकती है। वित्तीय उपबन्ध

(2) निधि का धन किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकता है अथवा न्यासी समिति द्वारा किसी ऐसे निगम को, जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में, अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे, विनियोजित किया जा सकता है।

(3) निधि एक स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी सम्परीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

6—न्यासी समिति द्वारा लिये गये तथा निष्पादित सभी निर्णय तथा संलेख सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जा सकते हैं, जिन्हें उक्त समिति की ओर से किसी बैंक लेखे का प्रचालन करने की भी शक्ति होगी। संलेख आदि का निष्पादन तथा अधिप्रमाणीकरण आदि

7—राज्य सरकार न्यासी समिति को, समय-समय पर, ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों, और ऐसे निदेशों का पालन करना न्यासी समिति का कर्तव्य होगा। निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 1974

8—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 20 जनवरी, 1974 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 1080/XVII-V-1—29-74

Dated Lucknow, April 17, 1974

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1974:

THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1974

[U. P. ACT No. 6 OF 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment and operation of a fund for the promotion of welfare of Advocates in Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974. Short title and extent.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires— Definitions.

(*a*) "Advocate" means an Advocate enrolled on the roll of the State Bar Council;

(*b*) "State Bar Council" means the State Bar Council of Uttar Pradesh constituted under section 3 of the Advocates Act, 1961;

(*c*) "Fund" means the Fund referred to in section 3;

(*d*) "Trustees Committee" means the Committee constituted under section 3.

Objects of the fund.

3. (1) For the following objects of general public utility, a charitable trust shall be created in respect of a Fund, to be constituted as hereinafter provided and to be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund, namely :—

(*a*) obtaining from the Life Insurance Corporation of India a policy of group life insurance of Advocates up to the age of 60 years ;

(*b*) the provision of buildings for halls and libraries, canteens and other facilities for District Bar Associations, or the making of contributions to District Bar Associations for the purposes of making such provision ;

(*c*) the organization of other schemes for the welfare of needy Advocates ; and

(*d*) such other objects as would, in the opinion of the Trustees Committee, improve the working conditions and facilities of Advocates.

(2) The Fund shall consist of—

(*a*) all monies transferred to it under section 4 ;

(*b*) all contributions made to it by the State Bar Council ;

(*c*) any voluntary donation or contribution made to the Fund by any Advocate, including any sum received from the Life Insurance Corporation of India on the death of an Advocate insured under the group life insurance policy where such Advocate had nominated the Trustees Committee as the person to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death ;

(*d*) any grants made to the Fund by the State Government ;

(*e*) any sum borrowed under section 5 ;

(*f*) any profits or dividends received from the Life Insurance Corporation of India in respect of the policy of group life insurance of Advocates ;

(*g*) any interest or dividend or other return or any investment made in respect of any part of the Fund.

(3) The Fund shall vest in and be held and administered by a Trustees Committee to be named the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Trustees Committee, of which the followning shall be the members, namely—

(*a*) the Advocate General of Uttar Pradesh, *ex-officio,* who shall be Chairman ;

(*b*) the Chairman, State Bar Council, *ex-officio,* or where that office is for the time being held by the Advocate General, an Advocate nominated by the State Bar Council ;

(*c*) the Secretary to the State Government in the Judicial Department, *ex-officio,* who shall be Member-Secretary.

(4) A member nominated under clause (*b*) of sub-section (3) shall hold office for a term of three years, but he may at any time by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his membership.

(5) The Trustees Committee shall be a body corporate with the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, and may sue and be sued by that name.

(6) No act or proceeding of the Trustees Committee shall be questioned or deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution thereof.

Transfer of certain monies to the Fund.

4. As soon as may be after the commencement of this Act, an amount equivalent to the sums received by the State Bar Council on account of the deposits of stamp duty on certificates of enrolment paid by Advocates, together with interest actually earned thereon, shall be paid by it to the credit of the Fund, and such credit to the Fund shall discharge the State Bar Council of the liability in respect thereof to the State Government.

Financial provisions.

5. (1) The Trustees Committee may, from time to time, borrow any sum required for the purposes of this Act.

(2) The monies in the Fund may be deposited in any scheduled bank or invested by the Trustees Committee in loans and advances to any Corporation

owned or controlled by the State Government, or in such other manner as the State Government may from time to time direct.

(3) The Fund shall be deemed to be a local fund and be audited by the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh.

Execution and authentication of instruments, etc.

6. All decisions and other instruments made and executed by the Trustees Committee may be authenticated by the signature of the Member-Secretary, who shall also have the power to operate any bank account on behalf of the said Committee.

Power of the State Government to issue directions.

7. The State Government may from time to time issue to the Trustees Committee such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Trustees Committee to comply with such directions.

Repeal and Saving.

U. P. Ordinance no. 4 of 1974.

8. (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Ordinance, 1974, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on January 20, 1974.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 35 राजपत्र (हिन्दी)—एम०सी० नं० 176—1974—2065+250 (मे०)।